परियोजना का नाम :– मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेतालघाट में थापली से रहेली तक मोटर मार्ग।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य आख्या

मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेतालघाट में थापली से रहेली तक मोटर मार्ग निमार्ण लम्बाई 3.50 किमी0 कार्य की स्वीकृति शासना देश संख्या 1440/III–(2) 11–05 (प्रा0आ0)/2010 दिनांक 28.03.2011 के तहत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिसके अनुसार मोटर मार्ग के स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराकर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित किया गया है। यह क्षेत्र फल पट्टी भू–भाग, सब्जी उत्पादक तथा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है। मोटर मार्ग से सम्पर्क नहीं होने के कारण तथा संकरे पगडण्डी रास्ते होने से स्थानिय काश्तकारों एवं स्कूल में पडने वाले विद्यार्थियो को सदैव काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शासन से बार–बार मोटर मार्ग की मांग करने के फलस्वरूप उक्त शासनदेशानुसार स्कूल तक मोटर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से ग्राम थापली एवं रहेली के अतिरिक्त इस क्षेत्र से लगे अधिकांश गॉवो से सम्पर्क हों सकेगा तथा समस्त क्षेत्रीय गॉव प्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। यह मोटर मार्ग मुख्य भुजान से बेतालघाट मोटर मार्ग के किमी0 7 से ग्राम खैरनी नामक सीन के पास से ग्राम रहेली तक 3.500 किमी0 लम्बाई में निर्मित किया जाना है ।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही नयी योजनो के बारें मे प्रचार प्रसार हेतु इन गावों मे विभिन्न विभागो एवं संस्थाओ के अधिकारी/कर्मचारी आदि को यातायात की सुविधा होगी, जिससे सरकार द्वारा चलाये जा रहे जनहित कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो सकेगा। साथ ही स्थानीय ग्रामिणों को गैस एवं स्वास्थ परिक्षण आदि प्राप्त करने में सुविधा होगी, तथा इस मार्ग के निर्मित हो जाने से जंगलों को बचाये जाने में मदत मिलेगी। मार्ग के संरेखण में कुल 2.1870 है0 वन भूमि प्रभावित होती है जिसमें विभिन्न व्यास के कुल 86 विभिन्न प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे है। मोटर मार्ग निर्माण में आरक्षित वन भूमि शून्य हे0 प्रभावित हो रही है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में लगभग 65 प्रतिशत भू–भाग वनाछाति है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोगा के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

अतः 3.500 किमी0 के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि (सिविल सोयम) लम्बाई 2430 मीटर तथा चौडाई 9.00 मीटर में प्रभावित होने वाली 2.1870 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 86 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
DFO
ALMORA